अनवान:– कालूराम बनाम सरकार
मुकदमा संख्या:– 14/2016
निर्णय दिनांक:– 26.09.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 14/2016
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2016/00161

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 कालूराम पुत्र झांवता		1 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर, जिला–जालोर
2 हरिराम पुत्र भाखरा		2 अर्जन पुत्र वगता
3 हापुराम पुत्र भाखरा		3 मोटा पुत्र वगता फौत के कायम मुकाम
4 नेनु बैवा भाखरा		अ–लाधु पुत्र मोटा फौत के कायम मुकाम
5 मोहनलाल पुत्र भाखरा		अ–हनुमान पुत्र लाधुराम
कौम–बिश्नोई, निवासीगण–		ब–रतनाराम पुत्र लाधुराम
सांकड़, तहसील–सांचौर		स–राकेश पुत्र लाधुराम
जिला–जालोर, राजस्थान		4 भींयाराम पुत्र तेजाजी
		5 मुकनाराम पुत्र तेजाजी
		6 जगदीश पुत्र मंशाजी
		7 सांवलाराम पुत्र मंशाजी
		8 मगा पुत्र प्रहलाद
		9 भाकचन्द पुत्र प्रहलाद
		10 प्रवीण पुत्र चिमा
		11 जालाराम पुत्र चिमाजी
		12 हरीराम पुत्र चिमाजी
		13 भगवानाराम पुत्र चिमाजी
		जातियान–बिश्नोई, निवासीगण– सांकड़, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 06.12.2016

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:35 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2, 3 (ब, स), 6, 9, 10, 11, 12, 13 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 (अ) 4, 5, 7, 8 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

अनवानः– कालूराम बनाम सरकार
मुकदमा संख्याः– 14 / 2016
निर्णय दिनांकः– 26.09.2025

:– निर्णय :–

दिनांक :– 26.09.2025

1. प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सांकड़ में हम प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत हाल खसरा नंबर 349 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 353 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नंबर 350 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 351 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 352 रकबा 1.98 हैक्टेयर, खसरा नंबर 380 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नंबर 381 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 382 रकबा 1.11 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.45 हैक्टेयर भूमि हम प्रार्थीगण के खातेदारी की है जिसमें पुराने खसरा नंबर 137 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा था, जिसके उक्त नये सृजित नंबर है। उक्त आराजी प्रथम सर्वे से ही एक चक है जिसकी किस्म बारानी दोयम है जो आज दिन तक हमने कभी किस्म परिवर्तन नहीं करवाया है व सभी भूमि आज भी कृषि प्रयोजन के काम आ रही है व इसी भूमि के दक्षिणी पूर्वी भाग में रास्ता था, जहां अभी वर्षों से रोड़ है, इस भूमि के उतरी पश्चिमी भाग में पुराने खसरा नंबर 146 है, जिससे लगता हुआ भी राजकीय मार्ग प्रथम सर्वे से है व वर्तमान में भी है। नये सर्वे अधिकारियों ने पूर्व दो अलग अलग नंबर खसरा नंबर 137 व 146 का रकबा तोड़कर नया नंबर खसरा नंबर 365 रकबा 0.48 हैक्टेयर सृजित कर दिया जिसमें 0.19 हैक्टेयर रकबा हमारे खातेदारी का डालकर रास्तानुमा तरमीम कर दिया, जबकि वहां कोई रास्ता नहीं है न कभी चला है न ही ऐसे रास्ते का कोई औचित्य है, क्योंकि पड़ौस का खसरा नंबर 146 भी रास्ते से लगता है। ऐसी स्थिति में रास्ता तरमीम करने का औचित्य भी नहीं है व सेटलमेंट अधिकारियों को हमारी सहमति के बिना हमारी खातेदारी भूमि का किस्म परिवर्तन करने का अधिकार भी नहीं था। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि हमारी खातेदारी का पुराना खसरा नंबर 137 किस्म बारानी दोयम में से नया नंबर 365 रकबा 0.48 हैक्टेयर में 0.19 हैक्टेयर हमारी खातेदारी का डाल दिया है व किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया है जो द्वितीय सर्वे अधिकारियों को किस्म परिवर्तन का अधिकार नहीं था सो खसरा नंबर 365 में से 0.19 हैक्टेयर भूमि हमारी उक्त अवतरण संख्या 1 में दर्ज खसरा नंबर के साथ जोड़ा जावें इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांचौर के नाम जारी की जावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 (अ) 4, 5, 7, 8 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थी संख्या 2, 3 (ब, स) 6, 9, 10, 11, 12, 13 उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 4 [illegible] पुत्र [illegible] की मृत्यु दिनांक 23.07.2020 व अप्रार्थी संख्या 8 मगा पुत्र प्रहलाद की मृत्यु दिनांक 28.07.2020 को हो चुकी है जिसकी मृत्यु सूचना निर्धारित अवधि में अदालत को नहीं दी गई तथा न हीं निर्धारित अवधि में मृतक के वारिसों को रेकर्ड पर लेने का कोई आवेदन प्रार्थीगण ने पेश नहीं किया है जिससे प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का उपशमन हो चुका है तथा निर्धारित अवधि में प्रार्थीगण पक्ष ने उक्त मृतक के विरूद्व प्रार्थना–पत्र उपशमन होने के अपास्ती हेतु ही कोई आवेदन पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

नहीं किया गया है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण ने धारा 136 आर.एल.आर एक्ट का प्रार्थना–पत्र किस्म परिवर्तन का पेश किया है जो किस्म परिवर्तन करने का क्षैत्राधिकार उक्त प्रावधानों में नहीं आने से क्षैत्राधिकार के अभाव में प्रार्थना–पत्र विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। प्रार्थीगण ने कृषि अयोग्य भूमि गैर मुमकिन रास्ता को निरस्त कर कृषि योग्य भूमि किये जाने का अनुतोष चाहा है लेकिन ऐसा कृषि अयोग्य भूमि पर सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से प्रार्थना–पत्र क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज योग्य है। मौजा सांकड़ पटवार हल्का सांकड़ के खेत खसरा नंबर 360 रकबा 3.45 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण संख्या 10, 11, 12 व 13 के खातेदारी कब्जाकाश्त का आया हुआ है। इसी प्रकार मौजा सांकड़ के खेत खसरा नंबर 355 रकबा 2.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 354 रकबा 0.46 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 8 मगा के वारिशों का आया हुआ है। मौजा सांकड़ के खसरा नंबर 364 रकबा 1.57 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 9 भागचन्द पुत्र पेलाद के खातेदारी कब्जाकाश्त का आया हुआ है। मौजा सांकड़ के खसरा नंबर 368 रकबा 1.67 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 4 के विधिक वारिश हापुराम वगैरह के खातेदारी कब्जाकाश्त का आया हुआ है। प्रशासन गांवों के संग अभियान सन् 2021 कैम्प ग्राम सांकड़ में दिनांक 06.10.2021 को शिकायत पेश की, जिस पर शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी सांचौर ने तहसीलदार सांचौर, पटवारी व भू. अ. निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया। जिस पर अतिक्रमण हटाया गया उसके बाद रास्ता आवागमन हमारे आने जाने के लिए चालु रहा, लेकिन अभी रास्ता बंद करने से दिनांक 05.05.2025 को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर हम अप्रार्थीगण ने शिकायत पेश की, उसके बावजूद भी रास्ता भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाने से हम अप्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी सांचौर को शिकायत दिनांक 27.05.2025 को पेश की, तत्पश्चात दिनांक 30.05.2025 को जिला कलक्टर जालोर को भी रास्ता भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु शिकायत पेश की, जिस पर कार्यालय तहसीलदार सांचौर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/452 दिनांक 03.06.2025 को रास्ता भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु उपखण्ड अधिकारी सांचौर को पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया उसकी पालना में कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांचौर द्वारा क्रमांक/विधि/2025/73 दिनांक 03.06.2025 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांचौर को पत्र पुलिस जाब्ते हेतु लिखा गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी हम अप्रार्थीगण के खेतों में आने जाने के आवागमन का रास्ता भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक प्रभावित नहीं होने से प्रार्थीगण का कोई (locus standi) नहीं होने से प्रार्थना–पत्र कानूनी पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

4. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने बहस में निवेदन किया है मौजा सांकड़ में प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत हाल खसरा नंबर 349 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 353 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नंबर 350 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 351 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 352 रकबा 1.98 हैक्टेयर, खसरा नंबर 380 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नंबर 381 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नंबर 382 रकबा 1.11 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.45 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की है जिसमें पुराने खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

नंबर 137 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा था, जिसके उक्त नये सृजित नंबर है। उक्त आराजी प्रथम सर्वे से ही एक चक है जिसकी किस्म बारानी दोयम है, जो आज दिन तक कभी किस्म परिवर्तन नहीं करवाया है व सभी भूमि आज भी कृषि प्रयोजन के काम आ रही है व इसी भूमि के दक्षिणी पूर्वी भाग में रास्ता था, जहां अभी वर्षो से रोड़ है, इस भूमि के उतरी पश्चिमी भाग में पुराने खसरा नंबर 146 है जिससे लगता हुआ भी राजकीय मार्ग प्रथम सर्वे से है व वर्तमान में भी है। नये सर्वे अधिकारियों ने पूर्व दो अलग–अलग नंबर खसरा नंबर 137 व 146 का रकबा तोड़कर नया नंबर खसरा नंबर 365 रकबा 0.48 हैक्टेयर सृजित कर दिया जिसमें 0.19 हैक्टेयर रकबा प्रार्थीगण की खातेदारी का डालकर रास्तानुमा तरमीम कर दिया जबकि वहां कोई रास्ता नहीं है न कभी चला है न ही ऐसे रास्ते का कोई औचित्य है क्योंकि पड़ौस का खसरा नंबर 146 भी रास्ते से लगता है। ऐसी स्थिति में रास्ता तरमीम करने का औचित्य भी नहीं है व सेटलमेंट अधिकारियों को प्रार्थीगण की सहमति के बिना प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का किस्म परिवर्तन करने का अधिकार भी नहीं था। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का पुराना खसरा नंबर 137 किस्म बारानी दोयम में से नया नंबर 365 रकबा 0.48 हैक्टेयर में 0.19 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी का डाल दिया है व किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया है जो द्वितीय सर्वे अधिकारियों को किस्म परिवर्तन का अधिकार नहीं था, सो खसरा नंबर 365 में से 0.19 हैक्टेयर भूमि उक्त अवतरण संख्या 1 में दर्ज खसरा नंबर के साथ जोड़ा जावें इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांचौर के नाम जारी की जावें।

5. अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि मौजा सांकड़ के खसरा नंबर 368 रकबा 1.67 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 4 के विधिक वारिश हापुराम वगैरह के खातेदारी कब्जाकाश्त का आया हुआ है। प्रशासन गांवों के संग अभियान सन् 2021 कैम्प ग्राम सांकड़ में दिनांक 06.0.2021 को शिकायत पेश की, जिस पर शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी सांचौर ने तहसीलदार सांचौर, पटवारी व भू. अ. निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया। जिस पर अतिक्रमण हटाया गया उसके बाद रास्ता आवागमन अप्रार्थीगण के आने जाने के लिए चालु रहा, लेकिन अभी रास्ता बंद करने से दिनांक 05.05.2025 को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अप्रार्थीगण ने शिकायत पेश की, उसके बावजूद भी रास्ता भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाने से अप्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी सांचौर को शिकायत दिनांक 27.05.2025 को पेश की, तत्पश्चात दिनांक 30.05.2025 को जिला कलक्टर जालोर को भी रास्ता भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु शिकायत पेश की जिस पर कार्यालय तहसीलदार सांचौर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/452 दिनांक 03.06.2025 को रास्ता भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु उपखण्ड अधिकारी सांचौर को पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया उसकी पालना में कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांचौर द्वारा क्रमांक/विधि/2025/73 दिनांक 03.06.2025 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांचौर को पत्र पुलिस जाब्ते हेतु लिखा गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के खेतों में आने जाने के आवागमन का रास्ता भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक प्रभावित नहीं होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

से प्रार्थीगण का कोई (locus-standi) नहीं होने से प्रार्थना–पत्र कानूनी पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें।

6. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में बताया कि पुराना खसरा नंबर 137 से नया खसरा नंबर 365 रकबा 0.48 हैक्टेयर में से 0.19 हैक्टेयर हमारी खातेदारी का डाल दिया है व किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया है जो द्वितीय सर्वे अधिकारियों को किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा पेश मिलान क्षैत्रफल का अध्ययन व अवलोकन किया जिसके अनुसार पुराने खसरा नंबर 137 से नवीन खसरा नंबर 353, 380, 352, 351, 350, 349 नवसृजित हुए है। तहसीलदार सांचौर द्वारा पेश जवाब अनुसार खसरा संख्या 365 का सृजन पुराने खसरा संख्या 137, 138, 141 व 146 से हुआ है। इस प्रकार प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र अनुसार नये खसरा नंबर 365 केवल पुराने खसरा नंबर 137 से सृजित नहीं हुए है। इसी प्रकार अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने कार्यालय तहसीलदार सांचौर के मुकदमा नंबर 149 / 2016 सरकार बनाम हरिराम वगैरह की आदेशिका व निर्णय की प्रतिलिपि पेश की, उक्त निर्णय दिनांक 10.09.2025 का अवलोकन किया जिसके अुनसार प्रार्थी संख्या 2 हरिराम, प्रार्थी संख्या 5 मोहनलाल व प्रार्थी संख्या 3 हापुराम को खसरा नंबर 365 में से 0. 01 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है तथा अपने निर्णय में बताया है कि खसरा नंबर 365 जो कि गैर मुमकिन रास्ता सेटलमेंट के समय से ही राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। इस प्रकार न्यायालय हाजा तहसीलदार सांचौर द्वारा खसरा नंबर 365 जो कि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होना बताया है तथा प्रकरण में प्रार्थी संख्या 2, 3, 5 को उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध उक्त प्रार्थीगण ने किसी अपीलीय न्यायालय में कार्यवाही की हो या स्थगन प्राप्त किया हो, ऐसा दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा पेश किया हुआ नहीं होने से खसरा नंबर 365 में क़िसी प्रकार का अनुतोष प्रार्थीगण के पक्ष में देना उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा उक्त मार्ग पर ग्राम पंचायत सांकड़ के कार्यादेश दिनांक 02.01.2013 द्वारा ग्रेवल सड़क निर्माण करने का कथन करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किए है कि खसरा नंबर 365 रकबा 0.48 हैक्टेयर में से 0.19 हैक्टेयर भूमि जो कि पुराना खसरा नंबर 137 प्रार्थीगण की खातेदारी में से कम कर द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने गलत ढंग से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया बाबत् प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्रं में उल्लेख किया है जिसके सन्दर्भ में प्रार्थीगण [illegible] में कहीं भी यह उल्लेखित नहीं किया है कि नये खसरा नंबर 365 में [illegible]19 [illegible]र भूमि द्वितीय सेटलमेंट में किस गलत आधार पर गैर मुमकि[illegible] दोनों पक्षों के दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि सेटलमेंट अधिकारियों ने मौके की स्थिति अनुसार सभी खेतों को जोड़ते हुए तथा सभी खसरों से भूमि लेते हुए रा[illegible] रेकर्ड में उपयोग अनुसार ही गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है तथा वर्तमान में मौके पर उक्त वादग्रस्त आराजी रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी को पुनः अपने खाते में जोड़ने बाबत् धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

किया गया है, जबकि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में केवल सीमित क्षैत्राधिकार अर्थात् राजस्व रेकर्ड में भूलवश/लिपिकीय त्रुटियों को ही संशोधन/दुरूस्त करने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को है, ना कि मूल खातेदारी अधिकारों/मूल शीर्षकों का निर्णय करना। इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना–पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की श्रेणी में नहीं आता है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही हेतु रेफरेंस का प्रावधान धारा 82–84 भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व मण्डल अजमेर में निहित है जिसमें राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 28.11.2015 द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में विद्यमान प्रावधान के अनुसार भूमि किस्म का निर्धारण भू–प्रबन्ध संक्रियाओं के दौरान मौके की स्थिति अनुसार किया जाता है। भू–प्रबन्ध संक्रिया होने के पश्चात किस्म परिवर्तन के अधिकार राजस्व अधिकारियों को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की श्रेणी में नहीं आने से खारिज योग्य है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **26.09.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:09:35 IST
Reason: SelfAttested